

# इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

## Allahabad State University, Allahabad

पत्रांक: इ0रा0वि0वि0 / कु0स0का0 / 405 / 2017

दिनांक 06 मार्च, 2017

### कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-2019/2017, 197/2017 एवं 1339/2017 में पारित माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति योजना-2011 एवं अनुवर्ती संशोधनों के आलोक में प्राप्त विधिक परामर्श के दृष्टिगत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 (सत्र 2016-18) द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित अनु0जाति/अनु0जनजाति के छात्र-छात्राओं से विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क न लिए जाने का निर्णय माननीय कुलपति जी द्वारा प्रदान किए गए हैं। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जिन बी0एड0 महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित छात्रों का परीक्षा व अन्य शुल्क जमा नहीं किया गया है उन्हें निदेशित किया जाता है वे अपनी कॉलेज लॉगिन से चालान जनरेट एवं प्रिंट करते हुए दिनांक 15.03.2017 तक प्रत्येक दशा में शुल्क बैंक में जमा करने का कष्ट करें।

(संजय कुमार)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्पादक ..... को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. वित्त अधिकारी, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय।
3. उपकुलसचिव, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन पर अपलोड कराने हेतु।
4. प्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
5. समस्त सम्बन्धित प्रबन्धक, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
6. निजी सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ।
7. विश्वविद्यालय के सूचना बोर्ड हेतु।

कुलसचिव